कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718053 दिनांक 21-11-2017.

प0 सं0 / 619 / निरीक्षण / 2017–18 / वाणिज्य कर मुख्यालय।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0

(निरीक्षण –अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: :: 21 नवम्बर, 2017।

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0),
वाणिज्य कर / राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय–पंजीयन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने तथा पंजीयन का अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में

मुख्यालय के पत्र संख्या–1252 दिनांक 02.11.2017 एवं पुनः परिपत्र संख्या–आई0टी0–रजिस्ट्रेशन / 2017–18 / 1281 / वाणिज्य कर दिनांक 07.11. 2017 द्वारा ऐसे नये व्यापारी जिनके द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किये गये हैं के व्यापार स्थल की जांच करते हुए उनका विवरण इम्प्लॉई इन्फार्मेशन सिस्टम पर उपलब्ध मॉड्यूल में किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। फील्ड स्तर से इस आशय की जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही हैं कि जांच पर जो व्यापारी अस्तित्व में नहीं पाये जायेंगे उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी और किस प्रकार की जायेगी। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 29 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे मामलों में जहॉ व्यापार नहीं हो रहा है तथा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत घोषित व्यापार स्थल से कोई व्यापार न किये जाने अथवा माल और सेवाओं की आपूर्ति किये बिना इनवाइस या बिल जारी किये जाने की स्थिति में पंजीयन निरस्त किये जाने का प्राविधान किया गया है तथा निरस्तीकरण की विस्तृत प्रक्रिया नियम 22 में प्राविधानित की गयी है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन निरस्तीकरण योग्य पाये जाने की स्थिति में व्यापारी को Form GST REG–17 में कारण बताओ नोटिस जारी की जायेगी तथा उसे उत्तर देने हेतु 7 दिन का समय दिया जायेगा। व्यापारी की ओर से इस Notice का उत्तर Form GST REG–18 में नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना है तथा उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में उत्तर प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर एवं उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उत्तर हेतु निर्धारित तिथि के 30 दिन के अन्दर निरस्तीकरण आदेश Form GST REG-19 में जारी किया जायेगा। जिन मामलों में व्यापारी द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया जायेगा उन मामलों में कार्यवाही समाप्त करते हुए Form GST REG–20 में आदेश जारी किया जायेगा।

पंजीयन निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण के बहाली हेतु व्यापारी की ओर से Form GST REG–21 में प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण आदेश के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा। तथा 'प्रॉपर ऑफिसर' द्वारा यह पाये जाने पर कि सम्बन्धित पंजीयन बहाली के पर्याप्त आधार है तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए पंजीयन बहाली का आदेश Form GST REG–22 में पारित किया जायेगा तथा ऐसा न होने की स्थिति में Form GST REG–05 में आदेश करते हुए बहाली हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जायेगा एवं आवेदक को सूचित किया जायेगा, किन्तु बहाली हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व Form GST REG–23 में इस आशय से

नोटिस जारी की जायेगीं कि क्यों न बहाली हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा आवेदक द्वारा इस नोटिस के प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर Form GST REG–24 में इसका उत्तर प्रस्तुत किया जायेगा। पंजीयन के सम्बन्ध में व्यापार स्थल की जॉच का प्राविधान उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली के नियम 25 में किया गया है तथा यह जॉच करते हुए जॉच रिपोर्ट Form GST REG–30 में व्यापार स्थल के फोटोग्राफ सहित तैयार की जायेगी एवं पोर्टल पर व्यवस्था हो जाने के उपरान्त इसे पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्तमान में जी0एस0टी0 पोर्टल पर Form GST REG–17 व अन्य फार्म उपलब्ध नहीं है। अतः यह फार्म जी0एस0टी0 पोर्टल पर उपलब्ध होने तक उल्लिखित नोटिस व आदेश मैनुअली जारी करते हुए उसकी हस्ताक्षरित प्रति को स्कैन करके अपनी विभागीय मेल आई0डी0 से व्यापारी द्वारा पंजीयन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध करायी गयी मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा और उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। जिन मामलों में पंजीयन निरस्त किया जायेगा उनमें निरस्तीकरण की सूचना आदेश की स्कैन्ड प्रति सहित मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग की मेल आई0डी0 **jcinspectionhqlu.up@gmail.com** पर उसी दिन प्रेषित की जायेगी तथा मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग द्वारा इन सूचनाओं के आधार पर आई0टी0 अनुभाग के माध्यम से जी0एस0टी0एन0 को बैक एण्ड में ऐसे पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया जायेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही का अनुश्रवण निरीक्षण अनुभाग के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समस्त सूचनाएं निरीक्षण अनुभाग को प्रेषित की जायेंगी।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

21/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।